

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर, दिनांक: 06.04.2018

आवंटन आदेश मई, 2018
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपमोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1-8 / 2013-बी.पी.-III दिनांक 26.09.2013 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु माह मई, 2018 हेतु गेहूँ का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाता है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उप आवंटन एवं उठाव के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें : -

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य है। खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत “अन्त्योदय एवं अन्य पात्र” परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 03.04.2018 की अद्यतन संख्या के आधार पर माह मई, 2018 का आवंटन, ऑफलाइन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, ऐदद्वारा जिलेवार किया जाता है।
2. जिले को आवंटित कुल खाद्यान्न मात्रा में से आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य दुकानों को उप-आवंटन का अधिकार जिला रसद अधिकारी को होगा। उचित मूल्य दुकानदार को किये गये आवंटन की प्रविष्टियाँ दिनांक 12.04.2018 तक आवश्यक रूप से विभागीय फीरस्ट पोर्टल पर करें।
3. जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन चार श्रेणियों में पृथक्-पृथक् पूर्व में जारी प्रपत्रानुसार किया जावेगा।
4. संभागीय जिला मुख्यालय हेतु आवंटित मात्रा का सम्बंधित जिला रसद अधिकारी (शहर) एवं जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) समन्वय स्थापित कर जिला कलकटर की अनुशंसा के आधार पर उठाव एवं वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. जिलेवार खाद्यान्न का आवंटन जिले की कुल ऑफ लाइन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।
6. मई माह हेतु जिलों को खाद्यान्न आवंटन निर्धारित अन्त्योदय एवं अन्य पात्र परिवार हेतु पात्रता अनुसार किया जा रहा है। जिलों द्वारा उठाव उचित मूल्य दुकानवार स्टॉक की भौतिक उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाकर शेष मात्रा समर्पित किए जाने का विकल्प होगा। जिला रसद अधिकारी का दायित्व होगा कि उचित मूल्य दुकानवार अप्रेल माह हेतु वांछित आवंटन मात्रा अनुसार उठाव करें।
7. मई माह के आवंटन के दौरान 100 किलो से अधिक एवं 50 से 100 किलो की श्रेणी वाली दुकानों (विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध) हेतु आवंटन सावधानी पूर्वक करें तथा उक्त दुकानों पर उपलब्ध वितरण से शेष गेहूँ को मई माह के आवंटन में समायोजित करें।

8. समर्पित गेहूं की मात्रा का विवरण उचित मूल्य दुकानवार संधारित करावें ताकि आवश्यकतानुसार समर्पित मात्रा को आगामी माह में समायोजित किया जा सके। समर्पित मात्रा की प्रतिलिपि उपायुक्त (द्वितीय), प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि०, जयपुर एवं तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर को भी भिजवायें।

इस विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह मई, 2018 तक का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(अंजू -sd- राजपाल)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017

जयपुर, दिनांक: 06.04.2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त, जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि०, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टॉक रोड जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह मई, 2018 हेतु आवंटित गेहूं की मात्रा की निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करावें। गेहूं उठाव की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात बिना किसी ठोस वजह के गेहूं उठाव एवं राशि जमा कराने की वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवार एवं
अन्य पात्र लाभार्थी) हेतु जिलेवार आवंटन माह मई, 2018

क्र.सं.	नाम जिला	प्रतिमाह आवंटित मात्रा (मात्रा मै० टन में)
1	2	3
1	अजमेर	8336
2	अलवर	12930
3	बांसवाड़ा	9222
4	बारां	5514
5	बाड़मेर	9757
6	भरतपुर	8222
7	भीलवाड़ा	8080
8	बीकानेर	7196
9	बूंदी	3566
10	चित्तौड़गढ़	5620
11	चूरू	7091
12	दौसा	5734
13	धौलपुर	4324
14	झूंगरपुर	7229
15	श्रीगंगानगर	5740
16	हनुमानगढ़	5059
17	जयपुर	14584
18	जैसलमेर	2186
19	जालोर	6223
20	झालावाड़	5634
21	झुन्झुनू	5593
22	जोधपुर	10414
23	करौली	5285
24	कोटा	5065
25	नागौर	11301
26	पाली	6941
27	प्रतापगढ़	4028
28	राजसमन्द	4400
29	सवाई माधोपुर	4475
30	सीकर	8741
31	सिरोही	4268
32	टोंक	4987
33	उदयपुर	13639
	कुल	231384

अजू राजपाल
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव
ग्राम एवं नागरिक आपूर्ति विभाग